राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटके पास, सी–स्कीम जयपुर

क्रमांक एफ 2(घ)(103)(निल.)आरएमएस(जांच)/डीएलबी/2022/ 3484 दिनांक : 02/09/2022

आदेश

पुलिस अधीक्षक–प्रशासन, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के पत्र क्रमांक : भ्रनिब्यूरो/अशा/3/2022/2729–32 दिनांक 05.08.2022 के अनुसार, परिवादी श्री औम प्रकाश शर्मा से आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नगर निगम जयपुर द्वारा 50,000/– रुपये बतौर रिश्वत अन्य आरोपी श्री श्रवण लाल कुमावत, चालक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नगर निगम जयपुर को दिलवाने पर दिनांक 04.08.22 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, एस.आई.यू. जयपुर द्वारा उक्त दोनो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 311/2022 पंजीबद्ध की गई।

उपरोक्तानुसार प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि आरोपी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं, अतः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर द्वारा निलम्बन एवं इनके मुख्यालय परिवर्तन हेतु की गयी अनुशंषा दिनांक 05.08.2022 को दृष्टिगत रखते हुए, कार्मिक(क–3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2 (157)कार्मिक/क–3/97 जयपुर, दिनांक 07 जुलाई, 2010 में दिये गये निर्देशों एवं राजस्थान सेवा (वर्गीकरंण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13 के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नगर निगम जयपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में लेने की दिनांक 04.08.2022 से ही एतद् द्वारा निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में इन का मुख्यालय कार्यालय उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर में रहेगा तथा इनको नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर निगम जयपुर ग्रेटर से किया जावेगा।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ 2(घ)(103)(निल.)आरएमएस(जांच)/डीएलबी/2022/ 3485–93 दिनांक : 02/09/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक–प्रशासन, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : भ्रनिब्यूरो/अशा/3/2022/2729–32 दिनांक 05.08.2022 के क्रम मे प्रेषित है।
3. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
4. महापौर, नगर निगम जयपुर ग्रेटर।

P.T.O.

5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर ग्रेटर को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में अन्य आरोपी श्री श्रवण, वाहन चालक मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निलम्बित करते हुए उनका मुख्यालय निदेशालय, स्थानीय निकाय में करने के आदेश जारी करावे।

6. श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी जरिए आयुक्त नगर निगम, जयपुर ग्रेटर।

7. उप निदेशक–आईटी, निदेशालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

8. संस्थापन अनुभाग–आरएमएस, निदेशालय/सुरक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त निदेशक